भारत सरकार

खान मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1196

दिनांक 14.12.2022 को उत्तर देने के लिए

जिला खनिज फाउंडेशन

†1196. श्री रामदास तडस:

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार को सूचित किया है कि दिनांक 23.04.2021 के आदेश के मद्देनजर जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) की शासी परिषद और प्रबंध समिति की संरचना को विनियमित करने वाले नियमों में संशोधन का समावेशन राज्य सरकार के विधि विभाग के साथ परामर्श के तहत प्रक्रियाधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसमें विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) गत सात वर्षों के दौरान राज्य में, विशेषकर वर्धा और अमरावती जिलों में प्रभावित लोगों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना(पीएमकेकेकेवाई) के तहत अब तक किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खान, कोयला एवं संसदीय कार्य मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) और (ख): महाराष्ट्र सरकार ने दिनांक 30.03.2022 के पत्र द्वारा सूचित किया था कि खान मंत्रालय के दिनांक 23.04.2021 के आदेश के अनुपालन में, महाराष्ट्र सरकार ने दिनांक 06.12.2021 की अधिसूचना द्वारा महाराष्ट्र जिला खनिज फाउंडेशन (न्यास) (प्रथम संशोधन) नियम, 2021 नियम बनाए थे। तथापि, दिनांक 24.12.2021 की अधिसूचना द्वारा, महाराष्ट्र सरकार ने दिनांक 06.12.2021 की अधिसूचना पर रोक लगा दी थी और तत्पश्चात दिनांक 21.03.2022 के पत्र द्वारा राज्य के सभी जिला कलेक्टरों को इस रोक को रद्द करने के लिए सूचित किया गया है और दिनांक 06.12.2021 की अधिसूचना के अनुसार इसके प्रावधानों को कार्यान्वित करने के निर्देश दिए गए हैं। (अनुबंध-I)

(ग): सूचना अनुबंध-II में दी गई है।

*****

अतारांकित प्रश्न संख्या – **1196** के उत्तर के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित अनुबंध- I

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, दिसंबर ६,२०२१ अग्रहायण १५, शके १९४३

उद्योग, ऊर्जा और श्रम विभाग

मंत्रालय, मैडम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक,

मुंबई 400 032, दिनांक 6 दिसम्बर, 2021

अधिसूचना

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957

सं.डीएमएफ-0621/सी.आर.सं.57/उद्योग-9- खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957(1957 का 67) की धारा 9ख की उप-धारा(3) और धारा 15 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र राज्य के लिए इसके प्रयोग में और उक्त अधिनियम की धारा 20क के तहत भारत सरकार द्वारा जारी निदेशों के अनुसार, महाराष्ट्र सरकार महाराष्ट्र जिला खनिज फाउंडेशन (न्यास) नियम, 2016 को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:—

1. इन नियमों का नाम महाराष्ट्र जिला खनिज फाउंडेशन (न्यास) (प्रथम संशोधन) नियम, 2021 है।
2. महाराष्ट्र जिला खनिज फाउंडेशन (न्यास) नियम, 2016 (यहां इसके पश्चात "प्रधान नियमों" के रूप में उल्लिखित), के नियम 5 में, उपनियमों (1) से (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियमों को रखा जाएगा, अर्थात:—

"(1) जिला खनिज फाउंडेशन न्यास का प्रबंधन शासी परिषद में निहित होगा, जिसमें राज्य सरकार द्वारा नियुक्त न्यास के सभी न्यासी शामिल होंगे। शासी परिषद में निम्नलिखित उप-नियमों में यथा-विनिर्दिष्ट अध्यक्ष, सदस्य और सदस्य-सचिव शामिल होंगे।

(2) जिले का जिला कलेक्टर शासी परिषद का अध्यक्ष होगा।

(3) किसी जिले में लोक सदन (लोकसभा) का सदस्य शासी परिषद का सदस्य होगा।

यदि, किसी जिले में लोक सदन (लोकसभा) के सदस्यों की संख्या एक से अधिक है तो उस जिले के लोक सदन (लोकसभा) के ऐसे सभी सदस्य शासी परिषद के सदस्य होंगे। यदि, लोक सदन (लोकसभा) के किसी सदस्य का चुनाव-क्षेत्र एक से अधिक जिलों में आता है तो उस लोक सदन (लोक सभा) का सदस्य ऐसे सभी जिलों के जिला खनिज फाउंडेशन की शासी परिषद का सदस्य होगा।

(3क) किसी राज्य की राज्य परिषद (राज्य सभा) का सदस्य उनके द्वारा चयनित जिले की जिला खनिज फाउंडेशन की शासी परिषद का सदस्य होगा। राज्य परिषद

(राज्यसभा) का सदस्य उनके द्वारा चयनित जिले का नाम सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव (खनन), उद्योग, ऊर्जा और श्रम विभाग को सूचित करेगा, जो बाद में संबंधित जिला कलेक्टर को सूचित करेंगे।

(3ख) किसी जिले की विधानसभा के सदस्य शासी परिषद के सदस्य होंगे।

(3ग) विधान परिषद के सदस्य उनके द्वारा चयनित जिले की जिला खनिज फाउंडेशन न्यास की शासी परिषद के सदस्य होंगे। विधान परिषद के सदस्य उनके द्वारा चयनित जिले का नाम सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव (खनन), उद्योग, ऊर्जा और श्रम विभाग को सूचित करेंगे, जो बाद में संबंधित जिला कलेक्टर को सूचित करेंगे।

(3घ) निम्नलिखित अधिकारी शासी परिषद के पदेन सदस्य होंगे:—

(क)	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद	पदेन सदस्य
(ख)	यदि खनन प्रभावित क्षेत्र नगर निगम या नगर पालिका परिषद की सीमाओं के भीतर आते हैं तो नगर निगम या नगर पालिका परिषद का प्रशासनिक अधिकारी	पदेन सदस्य
(ग)	जिला व्यवसाय प्रशिक्षण अधिकारी	पदेन सदस्य
(घ)	जिला जनजातीय कल्याण अधिकारी	पदेन सदस्य
(ङ)	जिला स्वास्थ्य अधिकारी	पदेन सदस्य
(च)	कार्यकारी अभियंता, जिला परिषद	पदेन सदस्य
(छ)	जिला महिला और बाल विकास अधिकारी	पदेन सदस्य
(ज)	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र (डीआईसी)	पदेन सदस्य

(3ङ) जिला खनन अधिकारी शासी परिषद का पदेन सदस्य-सचिव होगा"

3. प्रधान नियमों में नियम 8 में, उप-नियम(3) के पश्चात, निम्नलिखित उप-नियम को जोड़ा जाएगा, अर्थात:—

"(3क) प्रबंध समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे:—

(क)	जिले का जिला कलेक्टर	अध्यक्ष
(ख)	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद	पदेन सदस्य
(ग)	जिला व्यवसाय प्रशिक्षण अधिकारी	पदेन सदस्य
(घ)	जिला जनजातीय कल्याण अधिकारी	पदेन सदस्य
(ङ)	जिला स्वास्थ्य अधिकारी	पदेन सदस्य
(च)	कार्यकारी अभियंता, जिला परिषद	पदेन सदस्य

(छ)	जिला महिला और बाल विकास अधिकारी	पदेन सदस्य
(ज)	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र (डीआईसी)	पदेन सदस्य
(झ)	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक प्रतिनिधि	पदेन सदस्य
(ञ)	जिले की खान प्रचालन ऐजेंसी या खान पट्टाधारक का एक प्रतिनिधि	सदस्य
(ट)	जिले के गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) का एक प्रतिनिधि	सदस्य
(ठ)	जिला खनन अधिकारी	सदस्य-सचिव

महाराष्ट्र के राज्यपाल के आदेश द्वारा और के नाम पर

रविन्द्र गुरव

सरकार के संयुक्त सचिव

अतारांकित प्रश्न संख्या – **1196** के उत्तर के भाग (ग) में उल्लिखित अनुबंध- **II**

डीएमएफ निधि की स्थिति - महाराष्ट्र (वर्ष **2015** से अक्टूबर **2022** तक)

क्र .सं.	जिला	कुल डीएमएफ संग्रह (करोड़ रुपये में)	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	कार्यान्वयन के तहत परियोजनाओं/स्कीमों का विवरण (चालू परियोजनाओं की संख्या)	आवंटित राशि (करोड़ रुपये में)	खर्च की गई राशि (करोड़ रुपये में)
1	अमरावती	28.56	84	7	21.72	17.80
2	वर्धा	18.22	430	394	7.72	6.58
राज्य में कुल डीएमएफ संग्रह (35 जिले)		3787.43	9910	2933	2410.37	1748.56